

अध्यादेश का सारांश

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (जम्मू एवं कश्मीर तक विस्तार) अध्यादेश, 2017

- केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (जम्मू एवं कश्मीर तक विस्तार) अध्यादेश, 2017 को 8 जुलाई, 2017 को जारी किया गया। यह केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर एक्ट, 2017 को संशोधित करता है। इस एक्ट में राज्य के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई पर केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर की वसूली का प्रावधान है।
- **जम्मू एवं कश्मीर तक विस्तार** : केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर एक्ट, 2017 जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। यह अध्यादेश एक्ट के प्रावधानों को जम्मू एवं कश्मीर में लागू करता है।

अस्वीकरण: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।